न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 94/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/156

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
सवाईराम पुत्र मांगाराम उर्फ मांगीलाल जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा		1.गोपाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट निवासी मूल की ढाणी तहसील कल्याणपुर व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 01
3. विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक– 25/03/2025

1.संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की ओर से मूलवाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1177 क्षेत्रफल 5.7303 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी के प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 5 रिकार्डेड सहखातेदार है। जिसमें सह–खातेदारान के हिस्से भी खुले हुए है,लेकिन संयुक्त सहखातेदारी होने के कारण प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में विप्रार्थीगण आए दिन दखलदान्जी करते रहते है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है। इस कारण प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखने के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनते हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 22.3.2024

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की मौके की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री पुनमाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथावक्त बहस विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित रहें।

3.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्ध दावा बाबत बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूरी संभावना है। ग्राम मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की सरहद में आई खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1112,1148,1172,1173,1177 व 250 कुल क्षेत्रफल 15.2809 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1383 क्षेत्रफल 1.4407 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व शेष विप्रार्थीगण का हिस्सा है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण का उपरोक्तानुसार मौके पर कब्जा काश्त भी पृथक–पृथक है,किन्तु राजस्व रेकर्ड में खाता शामलाती दर्ज हैं। पक्षकारान के मध्य उक्त कृषि भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन होकर रेकर्ड में पृथक–पृथक इन्द्राज नहीं होने से बरसात के समय काश्त करने में असुविधा रहती हैं,प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का बंटवाडा नहीं होने से काश्त बोने के समय मनमुटाव की संभावना बनी रहती हैं,तथा भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु खाद देने, ऋण प्राप्त करने में भी प्रार्थीनी कठिनाई अनुभव कर रही हैं। विप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 1177 में प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में लाढी के जोर पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है। जबकि प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि के चारो तरफ बाढ इत्यादि की हुई है,लेकिन विप्रार्थी ताकत के जोर पर खसरा संख्या 1177 में प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में दखलदान्जी करने पर उतारू है,यदि इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भविष्य में भी भरपाई नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.3.2024 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 01 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत कियां है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योकि विवादित आराजी खसरा संख्या 1177 में प्रार्थी व विप्रार्थी का अपने अपने हक हिस्सेनुसार मौके पर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कब्जा काश्त चला आ रहा है। विप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की कब्जा शुदा भूमि में कभी भी दखलदान्जी नही की गई है। मौके पर विप्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी,कब्जा, स्वमित्व,मालिकाना की परिधि में पुराने बने रहवासीय ठाव जो काफी पुराने हो जाने से जर्जर हो गये थे,को हटाकर उसी स्थान पर नया निर्माण मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में करवाया जा सकता है,जिसे वर्तमान प्रकरण में अंतरित अस्थायी निषेधाज्ञा के आधार पर वर्तमान प्रकरण के प्रार्थी द्वारा बाधित किया जा रहा हैं,इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र दुराशय की बदनियती से पेश किया हैं,जो खारिज होने योग्य है,क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने वाले पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से प्रकरण पेश करना न्यायहित में आवश्यक हैं,जबकि प्रार्थी द्वारा वर्तमान प्रकरण मैल फाईड इंटेनशन से पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य हैं। अतं में निवेदन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन व अपुर्णिय क्षति प्रार्थी को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित करनें में सफल नहीं हुई हैं,इसलिए प्रार्थी कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जावें।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1177 क्षेत्रफल 5.7303 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व मौके की यथास्थिति बनाए रखने की अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6(1)सर्वप्रथम प्रथम द्वष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम मूलकी ढाणी तहसील कल्याणपुर की सरहद में आई खातेदारी कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1112,1148,1172,1173,1177 व 250 कुल क्षेत्रफल 15.2809 हैक्टयर एवं ग्राम कोरणा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 1383 क्षेत्रफल 1.4407 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी का 1/10 हिस्सा व शेष विप्रार्थीगण का हिस्सा है,जिसमें सह खातेदारान के राजस्व रेकर्ड में हिस्से भी खुले हुए है। प्रार्थी की ओर से मूलवाद बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी वांछित अनुतोष मुताबिक बंटवाड़ा करवाने का हकदार है अथवा नही। लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी स्थगन आदेश को जारी रखवाने का हकदार नहीं है,क्योकि प्रार्थी का मूलवाद बंटवाड़ा का है तथा प्रार्थी व विप्रार्थीगण विवादित आराजी के सह–खातेदार है। विवादित आराजी में सह–खातेदार के हिस्से भी खुले हुए है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है,क्योकि सहखातेदार अपनी कब्जाशुदा भूमि में रहवासी ढाणी अथवा मकान इत्यादि के रखरखाब करवाने का हकदार होता है। जैसा कि आर.आर.टी. 1969 पृष्ठ 373 एवं आर.आर.टी. 1978 पृष्ठ 638 में भी प्रतिपादित

सहायक कलक्टर
(मु.ना.) बालोतरा

है:–कि सहकृषक के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं हो सकती हैं एवं आर.आर.टी. 1981 पृष्ठ 295 में प्रतिपादित है:–कि जहां भूमि संयुक्त खातेदारी की हैं,वहां सहभागी द्वारा कीया गया हस्तान्तरण के संबध में केता के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। खातेदारान को स्थगन आदेश से पांबद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराघात होगा। इस प्रकार विप्रार्थी पक्ष को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने के कारण उनके हितो के साथ कुठराघात हुआ है। विवादित भूमि के संबध में जारी स्थगन आदेश को आगे और जारी रखा जाना विधि में निहित प्रावधानों के विपरीत होगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता हो। ऐसी सूरत में प्रथम द्रष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड सह–खातेदार है और रिकार्डेड सह–खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वंतत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नहीं,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखनें का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी.1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिपादित है:–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नहीं हैं। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

6(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। ऐसी सूस्त में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को हो रही है। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि के रिकार्डेड सह–खातेदार है और उन्हें स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्वातों के विपरीत है और हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवानें के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी को हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी स्थगन आदेश जारी रखवानें की हकदार नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.3.2024 निरस्त योग्य होने एवं मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

:आदेश:

8.उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 22.3.2024 को अपास्त किया जाकर,प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25/03/2025 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा